

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी  
 विश्वविद्यालय के बाहर से ही किया जाये व  
 कि किसी अब्द पदाधिकारी के नाम से।  
 सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
 व्यवहार नुस्खा हो तो पत्र क्रमांक पर दिनांक  
 अद्यता लिखा हो तो पत्र क्रमांक पर दिनांक  
 अद्यता लिखा जाये जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
 दूरभाष : (0751) 2341896  
 (0751) 2442829  
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचित,  
 जीवाजी विश्वविद्यालय  
 ग्वालियर  
 क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4958

दिनांक: १०.६.१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर पे सम्बद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (कालेज ऑफ एज्यूकेशन), शिवपुरी लिंक रोड, बेला की बाबूनी के पास, ग्वालियर को सन्त्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमी/विषयों की अस्थायी उत्तराधिकारी द्वारा अनुशंसार्थे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने इश्वरियालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिराधिक, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याक्तिगत, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, इमाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्यायनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुभव है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घोटाला राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से ग्राप्त इनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ड्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में ही गई शर्तों की पूर्ण मय प्रगति पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक स्टॉफ़ की विस्तृतियों का प्रमाण एवं रेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्थे अंकित करें।

स्थायी समिति के सम्मत सदस्यों से अनुभव है कि वे परिवेदन 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समस्त प्रस्तुत किए जाने हैं। इन सम्मत समितियों के संयोजकों एवं ग्वालियालयों के प्राचार्यों/संस्था के अध्यक्षों/सचिवों का यह उत्तराधिकारि है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण विधिविरुद्ध अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के विधारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम भार तक संयोजक सम्पर्क बढ़ाव करता है तो संबंधित संयोजक रखने समि ते के सदस्यों के साथ किसी भी दिन संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जगा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता रामबन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार बहीं किया जा सकेगा। वा ही ग्वालियालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता रामबन्धी कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रावली लेकर जारीने तथा महाविद्यालय की वस्तुविष्यति से निरीक्षण समिति को अवधारणा करावें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

  
कुलसंचित

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि संभिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्वर तक कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सत्रपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिराधिक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
उप-कुलसंचित (सम्बद्धता)